

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेबस एग्जाम पैटर्न

9. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया-

कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 (3) के प्रावधानानुसार किया जायेगा। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 200 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

परीक्षा का चरण	कांस्टेबल सामान्य/ पुलिस दूरसंचार	कांस्टेबल चालक	बैण्ड
लिखित परीक्षा	150	150	लागू नहीं
शारीरिक दक्षता परीक्षा	30	20	20
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	30	30
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	20	लागू नहीं	लागू नहीं
अंकों का योग	200	200	50

10. लिखित परीक्षा-

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाईन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी-

Scanned by TapScanner

[Download Constable Notification Click](#)

भाग - विषय	प्रश्न	अंक
अ - विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान	60	60
ब - सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर	35	35
स- महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे सम्बन्धित कानूनी प्रावधान/निर्णयों की जानकारी (इससे सम्बन्धित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी)	10	10
स - राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	45	45
कुल	150	150

इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक, समग्र रूप से लाना अनिवार्य है।

ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 150 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन तथा चयनित भूतपूर्व सैनिकों की विज्ञापित संख्या की अनुपलब्धता के मामले में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ ए-2/84/पार्ट-2 दिनांक 22.12.2020 के खण्ड-5 में वर्णित नियम अनुसार 5 प्रतिशत छूट देय होगी।

लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में समस्त अभ्यर्थियों को आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के पांचगुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

कानि. बैण्ड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET) :-

सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के पांचगुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा के उपरान्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती महिलाओं (प्राधिकृत चिकित्साधिकारी से जारी प्रमाण पत्र व दस्तावेज के आधार पर) को शामिल करने हेतु जिला/यूनिट स्तर पर यदि उक्त अभ्यर्थी पीएसटी/पीईटी में उत्तीर्ण हुई होती तो (विशेष अंक योग्यता के अंक सहित) आवेदन जिला/यूनिट में उसके अंक वर्ग की कटऑफ से अधिक होने की स्थिति में ही उसके लिए पद रिक्त रखा जायेगा और कटऑफ से कम अंक होने पर उसके लिए कोई पद रिक्त नहीं रखा जायेगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है परन्तु शारीरिक परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार सूचना को बोर्ड के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1-कॉन्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूरसंचार/चालक/बैण्ड पद के आवेदकों के लिए :-

समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 05 किमी. दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है :-

पदनाम	पुरुष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु.जाति/अनुजनजाति	अंक
कान्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूरसंचार	25 मिनट	35 मिनट	30 मिनट	30 मिनट	30
कान्स्टेबल चालक/कान्स्टेबल बैण्ड	25 मिनट	35 मिनट	30 मिनट	30 मिनट	20

नोट-

- 1- शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित

Join Telegram Click

(vii) फास्टबल बालक आवदका कालए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2004	02.01.95	02.01.90
ई.डब्लू.एस./एस.सी./एस.टी./बी.सी./एम.बी.सी/सहरिया वर्ग	01.01.2004	02.01.90	02.01.85
राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित आशार्थियों और कर्तव्य का पालना करते हुए मारे गये मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित	01.01.2004	02.01.92	02.01.87
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2004	02.01.79	02.01.79

(viii) शारीरिक मापदण्ड-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र	
	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.
न्यूनतम सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए - 81से.मी. फुलाने पर - 86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.

नोट-

- यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।
- पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14(2) के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
- समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उंचाई 152 से.मी. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

(ix) चिकित्सकीय मापदण्ड

- अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 (बेहतर आँख) और N9 (बदतर आँख) होनी चाहिए, अभ्यर्थी की दोनों आँखों की दूर दृष्टि 6X6 (बेहतर आँख) तथा 6X9 (बदतर आँख) होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसों फूली हुई होना (varicose veins), भँगापन (squint), रतौंधी (night blindness), आँखों में भँगापन, रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) हरनिया (Hernia) शल्य प्रोबलम (surgical problems)

(ii) शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)–

भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल परीक्षा लेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेंगे।

अपील–शारीरिक मापतौल से असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/–शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relaxation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relaxation) अंकित होगा।

नोट– अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) दक्षता परीक्षा (कॉन्स्टेबल ड्राइवर/बैण्ड आवेदकों के लिए)–

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतौल में उत्तीर्ण कॉन्स्टेबल ड्राइवर/बैण्ड पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेंगे।

कानि. ड्राइवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख-रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। कानि. बैण्ड पद के अभ्यर्थी की बैण्ड उपकरणों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, उनके रख-रखाव व धुनों के ज्ञान इत्यादि से सम्बन्धित परीक्षा ली जायेगी।

दक्षता परीक्षा में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेंगे तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

विस्तृत विवरण स्थाई आदेश संख्या-29/2021 में अंकित है।

(iv) विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक–

कॉन्स्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक (कुल अंक 10) प्रदान किये जायेंगे:–

एन.सी.सी.

क.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी- प्रमाण पत्र	10
2	बी- प्रमाण पत्र	8
3	ए- प्रमाण पत्र	6

होमगार्ड

क.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	होमगार्ड में निरन्तर 3 वर्ष तक सेवा देने पर	10
2	होमगार्ड में निरन्तर 2 वर्ष तक सेवा देने पर	8
3	होमगार्ड में निरन्तर 1 वर्ष तक सेवा देने पर	6

पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी

क.सं.	डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त	अंक
1	एम.ए./एम.एस.सी. कीमीनोलाजी, साईबर सुरक्षा एवं इससे सम्बन्धित विषय	10
2	सिक्वियरिटी मैनेजमेन्ट व सोशल साईन्स (पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय) में बीए/एलएलबी की उपाधि	8
3	उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त	

(उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी दो का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा)

नोट- पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(v) चयन सूची-

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा/मापतौल, विशेष योग्यता एवं चालक पद की दक्षता परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा अर्थात् यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है परन्तु उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से कम है तो अन्तिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण-

चयन सूची की घोषणा के बाद उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण जिला/यूनिट के रिजर्व पुलिस लाईन में होगी। उम्मीदवार जो अस्थाई रूप से अयोग्य पाए जाते हैं और जिनके दोष को चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 महीने के भीतर ठीक किया जा सकता है, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाये जाते हैं। जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर पुनः परीक्षा के बाद भी चिकित्सा फिटनेस के निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील-उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(vii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस एवं विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. प्रमाण पत्र-

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे-

- (i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- (ii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
- (iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
- (iv) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/2019 दिनांक 20.10.2019 के क्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2020-21 की आय का ऑनलाईन जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- (v) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (vi) आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।
- (vii) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिशतेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।